16.9.19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

20.9.19 वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 16.9.19 की पालना मे डिक्री जारि करवाने बाबत स्टाम्प पेश किये जो शामिल पत्रावली किया जाकर डिक्री जारि कर शामिल पत्रावली की गई है

(राजस्व वाद संख्या – 294 / 2019 अवतार प्रकाशकित बनाम लक्ष्मणसिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 294 / 2019

1. अवतार सिंह } पिसरान श्री लक्ष्मण सिंह } जाति कुम्हारसिख, निवासी
2. इकबाल सिंह } पुरूषोतमबास (फतेहगढ़)
3. टहल सिंह पुत्र श्री मघर सिंह, } तहसील व जिला हनुमानगढ़

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. श्री पूर्ण सिंह, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मघर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. अग्रेज कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह) धर्मपत्नि श्री निरजन सिंह, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 26, आर.सी.पी. कॉलोनी, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरमीत कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह) धर्मपत्नि श्री सुखपाल सिंह, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 6, चक सोहनवाला, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
5. छिन्द्र कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह) धर्मपत्नि श्री जगजीत सिंह, जाति कुम्हारसिख, निवासी बुरागुजर रोड, सगराना, तहसील व जिला श्रीमुक्तसरसाहिब (पंजाब)।
6. कुलविन्द्र कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह) धर्मपत्नि श्री मंगल सिंह, जाति कुम्हारसिख, निवासी बुरागुजर रोड, सगराना, तहसील व जिला श्रीमुक्तसरसाहिब (पंजाब)।
7. गुरप्रीत कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह) धर्मपत्नि श्री गुरजण्ट सिंह, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 7, आई.एन.टी. चक पिण्ड मुण्डा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक, हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अशोक कुमार भादु अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरजीतसिंह सन्धु अधिवक्ता — प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7
3. राज परीकार — प्रतिवादी संख्या 8

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 16.09.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण सख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण सख्या 2 से 7 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री पूर्ण सिंह व श्री पूर्ण सिंह के भाईयो को चक 22 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ मे 106 बीघा भूमि आवटित हुई थी। आवटन के पश्चात् पूर्ण सिंह व उसके भाईयों के मध्य बंटवारा हुआ जिसमे श्री पूर्ण सिंह को 68 बीघा भूमि बटवारा मे प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 22 एच.एम.एच. खाता सख्या 11 / 19 सम्वत 2021–2024 व प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना–पत्र मय पुश्त रिपोर्ट व बटवारानामा सलग्न है।

प्रतिवादी सख्या 1 के पिता पूर्ण सिंह के फौत होने के उपरान्त प्रतिवादी सख्या 1 को निम्नलिखित विवरण की भूमि अपने पिता श्री पूर्ण सिंह से मुताबिक बटवारा मे प्राप्त हुई :–

लगातार 2

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	16 ता 18, 21 ता 25	2.024 हैक्टर
102/293	65	19, 20/1 में .168, 21, 22	0.927 हैक्टर
102/294	72	1 ता 10, 12	2.657 हैक्टर
कुल तादादी			5.608 हैक्टर

प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 22 एच.एम.एच. के खाता संख्या 231/207 संलग्न है।

वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने से सहदायिक सम्पति है तथा इस भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मतः हक व अधिकार (Pre existing right) है।

उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है तथा बंटवारा के दिवस से उक्त वर्णित भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मुताबिक घराघरू बंटवारा आधिपत्य व धारण में है तथा वे प्रश्नगमत भूमि घरू बंटवारा अनुसार काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 अपनें सुसराल में निवास कर रही है जिसके विवाह आदि सामाजिक संस्कारों में वादीगण संख्या 1 व 2 नें संयुक्त रूप से काफी मात्रा में दान दहेज दिया है, प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 ने प्रश्नगत भूमि में अपने समस्त हिस्सा को वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 का अब इस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का उक्त वर्णित भूमि में निम्नलिखित अनुसार का काश्त है :–

(क) वादी संख्या 1 अवतार सिंह के कब्जा काश्त की भूमि :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	17/.160 (पश्चिमी) 18/.173 (पूर्वी) 23/.173 (पूर्वी) 24/.160 (पश्चिमी)	0.666 हैक्टर
102/294	72	2/.228 (.025 रास्ता), 3/.228, (.025 रास्ता), 4/.120 (दक्षिणी), 5/.047 (दक्षिणी) 6/.071 (उतरी) 7/.058 (उतरी), 8/.058 (उतरी), 9/.058 (उतरी)	0.918 हैक्टर
कुल तादादी :– 1.584 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता			

(ख) वादी संख्या 2 इकबाल सिहं के कब्जा काश्त की भूमि :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	18/.080 (पश्चिमी) 21/.253, 22/.253 23/.080 (पश्चिमी)	0.666 हैक्टर
102/294	72	6/.119 (दक्षिणी), 7/.195, (दक्षिणी), 8/.195 (दक्षिणी), 9/.195 (दक्षिणी) 12/.253	0.957 हैक्टर
कुल तादादी :– 1.623 हैक्टर			

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के कब्जा काश्त की भूमि :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
102/293	65	21/.253	0.253 हैक्टर
102/294	72	1/.228 (0.025 रास्ता), 10/.253	0.506 हैक्टर
कुल तादादी :– 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता			

सहायक कलक्टर,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(घ) प्रतिवादी संख्या 2 मघरसिंह के कब्जा काश्त की भूमि :–

पत्थर नम्बर	गुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	16/.240 (.013 रास्ता) 17/.093 (पूर्वी), 24/.093 (पूर्वी), 25/.240 (.013 रास्ता)	0.692 हैक्टर
102/293	65	19/.253, 20/1 में.168, 22/.253	0.674 हैक्टर
102/294	72	4/.108 (उत्तरी) (.025 रास्ता) 5/.118 (उत्तरी) (.025 रास्ता)	0.276 हैक्टर
कुल तादादी :– 1.642 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता			

वादी संख्या 1 व 2 का वाद पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित भूमि में पैतृक सम्पति होने के नाते पूर्व विद्यमान हक व हित नीहित है तथा वादी संख्या 1 को 1.584 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता तथा वादी संख्या 2 को 1.623 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 1 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1.642 हैक्टर भूमि के खातेदार है लेकिन राजस्व अभिलेख में अभी तक वादीगण के नाम यह भूमि दर्ज नहीं होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं होने से उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के मुश्तहक व दावेदार हैं कि वाद पत्र की चरण संख्या 5 में (क) लगायत (ग) में वर्णित भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 की अर्जित आय से चक 23 एच.एम.एच. में 0.759 हैक्टर भूमि खरीद की तथा उक्त 0.759 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने कर्ताखानदान की हैसियत से 0.506 हैक्टेयर भूमि बैय कर दी है तथा शेष भूमि राजस्व अभिलेख में खाता संख्या 100/90 में 0.253 हैक्टर दर्ज है। प्रश्नगत कृषि भूमि घरू बंटवारा अनुसार वादी संख्या 3 के कब्जा काश्त में है तथा चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या 100/90 की 0.253 हैक्टर की बाबत वादी संख्या 3 इस आशय की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वह प्रश्नगत कृषि भूमि 0.253 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खाता संख्या 100/90 से प्रतिवादी संख्या 1 लिछमन सिहं का नाम कलमजन करवाये जाने का वादी संख्या 3 अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में लिछमन सिहं दर्ज है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का सही नाम लक्ष्मण सिहं है जो कि राजस्व में लिछमण सिहं के स्थान पर लक्ष्मण सिहं दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से अर्सा 1 सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित अनुसार हुये बंटवारा के अनुसार चक 22 एच.एम.एच. के खाता संख्या 231/207 में वर्णित भूमि में वादीगण की वादपत्र की चरण संख्या–6 में (क) लगायत (घ) में वर्णित अनुसार खातेदारी होना स्वीकार कर लेवे तो वह टालमटोल करने लग गया। यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 8 प्रश्नगत भूमि का भूधारक है तथा प्रतिवादी संख्या 9 के यहां प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि रहन रखी हुई है। इस कारण आवश्यक पक्षकार है। वादपत्र वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन हेतु है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा वादीगण द्वारा याचित अनुतोष माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। अतः यह वाद पत्र 2/– रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है जो हर प्रकार से अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि चक 22 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 231/207 सम्वत 2072–2075 तादादी 5.608 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला जो

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में वादी संख्या 1 को 1.584 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता तथा वादी संख्या 2 को 1.623 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1.617 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता भूमि के खातेदार काश्तकार हैं तथा शेष 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की यथावत रहेगी तथा चक 23 एच.एम.एच. के संयुक्त खाता संख्या 100/90 की 1.518 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.253 हैक्टर का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 22 एच.एम.एच. की जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 की शेष बची 0.759 हैक्टर भूमि में "लिछमन सिह" के स्थान पर "लक्ष्मण सिहं" दर्ज किया जावे।

(ख) मुताबिक घोषणा चक 22 एच.एम.एच. के खाता संख्या 231/207 में वादी संख्या 1 अवतार सिहं का पत्थर नम्बर 79/211 (35) के किला नम्बर 17/.160 (पश्चिमी), 18/.173 (पूर्वी), 23/.173 (पूर्वी) 24/.160 (पश्चिमी), पत्थर नम्बर 102/294 (72) के किला नम्बर 2/.228 (0.025 रास्ता), 3/.228 (0.025 रास्ता), 4/.120 (दक्षिणी), 5/.047 (दक्षिणी) 6/.071 (उतरी) 7/.058 (उतरी), 8/.058 (उतरी), 9/.058 (उतरी) कुल 1.584 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता, वादी संख्या 2 इकबाल सिहं का पत्थर नम्बर 106/291 (35) के किला नम्बर 18/.080 (पश्चिमी) 21, 22, 23/.080 (पश्चिमी), पत्थर नम्बर 102/294 (72) के किला नम्बर 6/.119 (दक्षिणी), 7/.195 (दक्षिणी), 8/.195 (दक्षिणी), 9/.195 (दक्षिणी), 12/.253 कुल 1.623 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 मघर सिहं का पत्थर नम्बर 79/211 (35) के किला नम्बर 16/.240 17/.093 (पूर्वी), 24/.093 (पूर्वी), 25/.240, पत्थर नम्बर 102/293 (65) के किला नम्बर 19, 20/1 में 0.168, 22, पत्थर नम्बर 102/294 (72) के किला नम्बर 4/.108 (उतरी) (0.025 रास्ता), 5/.118 (उतरी) (0.025 हैक्टर रास्ता), कुल तादादी 1.642 हैक्टर का खाता अलग–अलग कायम रकमराज अलग कायम फरमाया जावे तथा शेष खाता की 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की यथावत रहेगी।

(ग) मुताबिक घोषणा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा दुरूस्त कर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(ड) अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत हो, वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 13.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढनें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि मिकरान आपस में पिता–पुत्र व पुत्रियां है। मिकरान–वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के दादा व वादी संख्या 3 के पडदादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री पूर्ण सिहं को चक 22 एच.एम.एच, में भूमि आंवटित हुई थी जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता पूर्ण सिहं से 5.060 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई थी जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 2 से 7 का जन्म से हक व अधिकार होना प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार करता है तथा प्रसन्नता

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि खाता संख्या 231/207 की 5.060 हैक्टर पैतृक सम्पति होने के कारण वादी संख्या 1 में अवतार सिहं 1.584 हैक्टर मय गैर. मुमकिन रास्ता, वादी संख्या 1.623 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1.642 हैक्टर की घोषणा के साथ–साथ खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है तथा खाता संख्या 231/207 की शेष 0.759 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की यथावत रहेगी। इसके अलावा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा खाता संख्या 231/207 की अर्जित आय से चक 23 एच.एम.एच. के संयुक्त खाता संख्या 100/90 की 1.518 हैक्टर खाता में 0.253 हैक्टर खरीद की है जो पैतृक सम्पति है जिस बावत वादी संख्या 3 खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लिछमण सिहं 0.253 हैक्टर पिसरान पूरन सिह का उक्त खाता संख्या 100/90 से कलमजन करवाकर उसके स्थान टहल सिह पुत्र श्री मघर सिहं 0.253 है। दर्ज करवाना चाहते हैं। जिस बाबत वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 सहमत है। मिकरान–प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना हक व हिस्सा अपने पिता–भाई/भतीजे के पक्ष में त्याग करने में सहमत है। इस कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 का लोक अदालत की भावना स प्रेरित होकर राजीनामा हो जानें के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 प्रश्नगत भूमि का रास्ता खाला की सुविधा अनुसार विभाजन कर लिया हैं

इसके अलावा चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या 100/90 में दर्ज 1.518 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लिछमण सिहं 0.253 हैक्टर पिसरान पूरन सिह का उक्त खाता संख्या 100/90 से कलमजन कर उसके स्थान टहल सिह पुत्र श्री मघर सिहं 0.253 हैक्टर का वादी संख्या 3 टहल सिहं को खातेदार घोषित किय जाने में वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 सहमत है। इसके अलावा चक 22 एच.एम.एच. के खाता संख्या 231/207 में प्रतिवादी संख्या 1 का विभाजन में प्राप्त हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम लिछमन सिहं पुत्र श्री पूर्ण सिहं के स्थान पर लक्ष्मण सिहं पुत्र श्री पूर्ण सिहं राजस्व अभिलेख अंकित किया जावे।

मिकरान–वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 उपरोक्तानुसार प्राप्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदान किये जाने में सहमत है तथा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने में तथा मुताबिक बंटवारा खाता विभाजन की डिक्री प्रदत्त किये जाने में सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा मिकरान ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा व विवेक से निष्पादित कर दिया है कि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे ।

स्टेट की और से पैरोकार राज द्वारा वाद पत्र का मदवार जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकी यात कायम नहीं होनें से वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये किये गये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा

Scanned by CamScanner

सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद में वर्णित भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादीसंख्या 1 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है व वादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 का पोत्र होनें के कारण उनका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वादे वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित चक 23 एच.एम.एच. के संयुक्त खाता संख्या 100/90 की 1.518 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 लिछमणसिंह पुत्र पुर्णसिंह के नाम दर्ज 0.253 हैक्टर का वादी संख्या 3 टहलसिंह पुत्र मघरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। तथा चक 22 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 231/207 सम्वत 2072–2075 तादादी 5.608 हैक्टर मय गैरममकिन खाला में वादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

संख्या 1 को 1.584 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता तथा वादी संख्या 2 को 1.623 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1.642 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता भूमि के खातेदार काश्तकार हैं तथा शेष 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरूस्त किया जाकर "लिछमन सिह" के स्थान पर "लक्ष्मण सिहं" को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 अवतार सिंह पुत्र लक्ष्मणसिह जाति कुम्हारसिख निवासी पुरूषोतबास (फतेहगढ़) के हिस्सा आई चक 22 एच.एम.एच. की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	17/.160 (पश्चिमी) 18/.173 (पूर्वी) 23/.173 (पूर्वी) 24/.160 (पश्चिमी)	0.666 हैक्टर
102/294	72	2/.228 (.025 रास्ता), 3/.228, (.025 रास्ता), 4/.120 (दक्षिणी), 5/.047 (दक्षिणी) 6/.071 (उतरी) 7/.058 (उतरी), 8/.058 (उतरी), 9/.058 (उतरी)	0.918 हैक्टर
कुल तादादी :– 1.584 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता			

2. वादी संख्या 2 इकबाल सिहं पुत्र लक्ष्मणसिह जाति कुम्हारसिख निवासी पुरूषोतबास (फतेहगढ़) के हिस्सा आई चक 22 एच.एम.एच. की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	18/.080 (पश्चिमी) 21/.253, 22/.253 23/.080 (पश्चिमी)	0.666 हैक्टर
102/294	72	6/.119 (दक्षिणी), 7/.195, (दक्षिणी), 8/.195 (दक्षिणी), 9/.195 (दक्षिणी) 12/.253	0.957 हैक्टर
कुल तादादी :– 1.623 हैक्टर			

3. प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. श्री पूर्ण सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) के हिस्सा आई चक 22 एच.एम.एच. की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
102/293	65	21/.253	0.253 हैक्टर
102/294	72	1/.228 (0.025 रास्ता), 10/.253	0.506 हैक्टर
कुल तादादी :– 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता			

4. प्रतिवादी संख्या 2 मघरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिह जाति कुम्हारसिख निवासी पुरूषोतबास (फतेहगढ़) के हिस्सा आई चक 22 एच.एम.एच. की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	16/.240 (.013 रास्ता) 17/.093 (पूर्वी), 24/.093 (पूर्वी), 25/.240 (.013 रास्ता)	0.692 हैक्टर
102/293	65	19/.253, 20/1 में.168, 22/.253	0.674 हैक्टर
102/294	72	4/.108 (उतरी) (.025 रास्ता) 5/.118 (उतरी) (.025 रास्ता)	0.276 हैक्टर
कुल तादादी :– 1.642 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता			

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 16.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

10

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 294/2019

1 अवतार सिहं
2 इकबाल सिहं
3 टहल सिहं पुत्र श्री मघर सिहं,
} पिसरान श्री लक्ष्मण सिहं } जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 लक्ष्मण सिहं पुत्र स्व. श्री पूर्ण सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 मघर सिहं पुत्र श्री लक्ष्मण सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 अंग्रेज कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिह) धर्मपत्नि श्री निरजंन सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 26, आर.सी.पी. कॉलोनी, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4 गुरमीत कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिह) धर्मपत्नि श्री सुखपाल सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 6, चक सोहनेवाला, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
5 छिन्द्र कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिह) धर्मपत्नि श्री जगजीत सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी बुरागुजर रोड़, संगराना, तहसील व जिला श्रीमुक्तसरसाहिब (पंजाब)।
6 कुलविन्द्र कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिह) धर्मपत्नि श्री मंगल सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी बुरागुजर रोड़, संगराना, तहसील व जिला श्रीमुक्तसरसाहिब (पंजाब)।
7 गुरप्रीत कौर (पुत्री श्री लक्ष्मण सिह) धर्मपत्नि श्री गुरजण्ट सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 7 आई.एन.टी. चक पिण्ड मुण्डा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9 भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक, हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 16.09.2019

वादीगण की और से श्री अशोक कुमार भादु अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री अमरजितसिंह सन्धु तथा प्रतिवादी संख्या 8 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 16.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित चक 23 एच.एम.एच. के संयुक्त खाता संख्या 100/90 की 1.518 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 लिछमणसिंह पुत्र पुर्णसिंह के नाम दर्ज 0.253 हैक्टर का वादी संख्या 3 टहलसिंह पुत्र मघरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। तथा चक 22 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 231/207 सम्वत 2072–2075 तादादी 5.608 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला में वादी संख्या 1 को 1.584 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता तथा वादी संख्या 2 को 1.623 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1.642 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता भूमि के खातेदार काश्तकार हैं तथा शेष 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरूस्त किया जाकर "लिछमन सिह" के स्थान पर "लक्ष्मण सिहं" को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

लगातार 2

Scanned by CamScanner

1. वादी संख्या 1 अवतार सिंह पुत्र लक्ष्मणसिह जाति कुम्हारसिख निवासी पुरूषोतबास (फतेहगढ़) के हिस्सा आई चक 22 एच.एम.एच. की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	17/.160 (पश्चिमी) 18/.173 (पूर्वी) 23/.173 (पूर्वी) 24/.160 (पश्चिमी)	0.666 हैक्टर
102/294	72	2/.228 (.025 रास्ता), 3/.228, (.025 रास्ता), 4/.120 (दक्षिणी), 5/.047 (दक्षिणी) 6/.071 (उतरी) 7/.058 (उतरी), 8/.058 (उतरी), 9/.058 (उतरी)	0.918 हैक्टर
कुल तादादी :– 1.584 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता			

2. वादी संख्या 2 इकबाल सिहं पुत्र लक्ष्मणसिह जाति कुम्हारसिख निवासी पुरूषोतबास (फतेहगढ़) के हिस्सा आई चक 22 एच.एम.एच. की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	18/.080 (पश्चिमी) 21/.253, 22/.253 23/.080 (पश्चिमी)	0.666 हैक्टर
102/294	72	6/.119 (दक्षिणी), 7/.195, (दक्षिणी), 8/.195 (दक्षिणी), 9/.195 (दक्षिणी) 12/.253	0.957 हैक्टर
कुल तादादी :– 1.623 हैक्टर			

3. प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. श्री पूर्ण सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) के हिस्सा आई चक 22 एच.एम.एच. की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
102/293	65	21/.253	0.253 हैक्टर
102/294	72	1/.228 (0.025 रास्ता), 10/.253	0.506 हैक्टर
कुल तादादी :– 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता			

4. प्रतिवादी संख्या 2 मघरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिह जाति कुम्हारसिख निवासी पुरूषोतबास (फतेहगढ़) के हिस्सा आई चक 22 एच.एम.एच. की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
106/291	35	16/.240 (.013 रास्ता) 17/.093 (पूर्वी), 24/.093 (पूर्वी), 25/.240 (.013 रास्ता)	0.692 हैक्टर
102/293	65	19/.253, 20/1 में.168, 22/.253	0.674 हैक्टर
102/294	72	4/.108 (उतरी) (.025 रास्ता) 5/.118 (उतरी) (.025 रास्ता)	0.276 हैक्टर
कुल तादादी :– 1.642 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता			

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 20...09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –		

Scanned by CamScanner